न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या -2,गाजियाबाद।

सत्र परीक्षण संख्याः 609/ 2019

कम्प्यूटर रजि० नं० 638/2019

CNR No UPGZo

राज्य बनाम सुनील आदि

मु० अ० सं० 577/2019

अन्तर्गत धाराः 147,148,302,201,34 भा० दं० सं०

थानाः मोदीनगर , जिला गाजियाबाद।

24–10–2024

अभियुक्त अभिषेक के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट दिनांक 17–10–2022 को निर्गत किया गया। उक्त गैर जमानतीय वारण्ट पर थाना थाना मोदीनगर पर नियुक्त एस०आई०शिव प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 17–11–2022 आख्या प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्त अभिषेक की मृत्यु दिनांक 29–12–2021 को हो चुकी है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) ग्राम पंचायत सींकरी खुर्द,जनपद गाजियाबाद द्वारा दिनांक 18–01–2022 को निर्गत किया गया है, जिसमें अभियुक्त अभिषेक नागर पुत्र सतपाल निवासी ग्राम सींकरी खुर्द, थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद की मृत्यु दिनांक 29–12 –2021 को होना अंकित है।

उक्त मृत्यु प्रमाण –पत्र व अपनी आख्या को प्रमाणित किये जाने हेतु तामील कुरिन्दा एस० आई० शिव प्रताप सिंह हाल तैनाती थाना लोनी जिला गाजियाबाद को तलब किया गया। एस० आई० शिव प्रताप सिंह न्यायालय में उपस्थित हुये। जिनका बयान सी० डब्लू–1 के रूप में अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने कहा है कि अभियुक्त अभिषेक के एन०बी०डब्लू की तामील की गयी।जिस सम्बन्ध में अभियुक्त का मृत्यु प्रमाण पत्र उसके परिजनों द्वारा मुझे प्राप्त कराया गया। जिसके अनुसार अभिषेक नागर पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम सींकरी खुर्द मोदीनगर गाजियाबाद की मृत्यु दिनांक 29–12–2021 को हो गयी है, जिसके सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र मुझ उपनिरीखक द्वारा प्रापत किया गया और एन० बी० डब्लू रिपोर्ट व अभियुक्त अभिषेक का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया। एन०बी० डब्लू की थाना रिपोर्ट पर प्रदर्श C1 व मृत्यु प्रमाण पत्र पर C2 डाला गया। जिनकी मैं तसदीक करता हूॅ।

पत्रावली पर अभियुक्त अभिषेक के गैर जमानतीय वारण्ट पर दाखिल मृत्यु आख्या अभियुक्त व मृत्यु प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में सी०डब्लू–1 एस० आई०शिव प्रताप सिंह के बयान से यह साबित है कि प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियुक्त रहे अभिषेक की मृत्यु दिनांक 29–12–2021 को हो चुकी है। अतः अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध प्रस्तुत सत्र वाद की कार्यवाही उपशमित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किये जाने का पृष्ठांकन आरोप–पत्र व उसके विरूद्ध विरचित आरोप पर भी किया जाये।

शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही यथावत संचालित रहेगी।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हो।

दिनांकः 24–10–2024

(हीरा लाल –III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2,गाजियाबाद।